	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 05, सोमवार, *शाके* 1944-दिसम्बर 26, 2022 *Pausa 05 Monday , Saka 1944- December 26, 2022*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त (जीएण्डटी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 23, 2022

जी.एस.आर.387.- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक सं.एफ 8(3)एफडी/एसपीएफसी /विविध/सुलभ/2021 दिनांक 23-12-2021 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैः-

राज्यपाल के आदेश से,

मनीश माथूर,
संयुक्त शासन सचिव।

वित्त (जी एण्ड टी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 23, 2021

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीतियों, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभागों और उद्यमों के संसाधनों और विशेषज्ञता के उपयोग और उपापन संस्थाओं के व्यक्तिश: बोलियों के आमंत्रण और प्रक्रिया में अपेक्षित समय, धन और प्रयासों की बचत के लिए आवश्यक है, इस विभाग की, समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ. 1(8)/एफडी/जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 04 सितम्बर, 2013 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में, विद्यमान क्रम संख्यांक 58 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक 59 और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

"

59.	(क) लोक प्रसाधनों का सन्निर्माण प्रचालन और अनुरक्षण (ख) निजी प्रसाधनों का सन्निर्माण	सुलभ अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सेवा संगठन	1. लोक और निजी प्रसाधनों के सन्निर्माण के लिए, सुलभ अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सेवा संगठन, जिसे इसमें इसके पश्चात् संगठन के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, को निम्नानुसार अग्रिम रकम दी जायेगी-: (क) निजी प्रसाधनों के सन्निर्माण के मामले में, सन्निर्माण लागत रकम का 50 प्रतिशत, संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा संगठन को अग्रिम के तौर पर संदत्त किया जायेगा और सन्निर्माण लागत रकम के 40 प्रतिशत की दूसरी किस्त, आनुपातिक कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् संदत्त की जायेगी और सन्निर्माण लागत रकम का शेष 10 प्रतिशत, कार्य के संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने के पश्चात् संदत्त किया जायेगा। (ख) लोक प्रसाधनों के सन्निर्माण के मामले में, प्राक्कल्लित सन्निर्माण लागत रकम का 80 प्रतिशत अग्रिम के तौर पर दिया जायेगा और शेष 20 प्रतिशत रकम कार्य के संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने के पश्चात् दी जायेगी। 2. निजी प्रसाधनों के लिए प्रति इकाई की लागत और लोक प्रसाधनों के लिए सन्निर्माण लागत/दरों के अनुसार प्राक्कलन तैयार किया जायेगा। 3. लोक और निजी प्रसाधनों के लिए प्राक्कलन, संबंधित बीएसआर के अनुसार तैयार किया जायेगा और कार्य के विशिष्ट विवरण के अनुसार निम्नलिखित समिति द्वारा दरें विनिश्चित की जायेंगी:- (i) प्रभारी- सचिव, स्थानीय स्वशासन विभाग-अध्यक्ष (ii) निदेशक और पदेन संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय विभाग- सदस्य (i) मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राजस्थान- सदस्य (ii) वित्त विभाग का प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव की रैंक से नीचे का नहीं हो- सदस्य (iii) मुख्य अभियंता, स्थानीय निकाय विभाग, सदस्य-सचिव (iv) वित्तीय सलाहकार, स्थानीय निकाय विभाग-सदस्य उपर्युक्त समिति प्रस्तावित प्रसाधनों के रेखाचित्र और

			डिजाइन का भी अनुमोदन करेगी। 4. प्रसाधनों के अनुरक्षण, स्वच्छता को सुनिश्चित और मानीटर करने और प्रसाधनों के उपयोग प्रभारों और विद्यमान लोक प्रसाधनों के लिए अनुरक्षण प्रभारों को विनिश्चित करने के लिए समिति निम्नानुसार होगी: (i) निदेशक और पदेन संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय विभाग- अध्यक्ष (ii) आयुक्त, जयपुर नगर निगम, ग्रेटर-सदस्य (iii) मुख्य अभियंता, स्थानीय निकाय विभाग, सदस्य-सचिव (iv) वित्तीय सलाहकार, स्थानीय निकाय विभाग -सदस्य (v) वित्तीय सलाहकार, जयपुर नगर निगम, हैरिटेज-सदस्य 5. (i) यदि संगठन जनता से उपयोग प्रभार प्राप्त या संगृहीत करता है तो, संगठन को अनुरक्षण प्रभार संदेय नहीं किया जायेगा। (ii) विद्यमान लोक प्रसाधनों के मामलों में जहां संगठन जनता से उपयोग प्रभार प्राप्त या संगृहीत नहीं करता है, उपर्युक्त खण्ड (4) में उल्लिखित समिति द्वारा अनुरक्षण प्रभार विनिश्चित किये जायेंगे। 6. सुलभ अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सेवा संगठन, निजी भवन स्वामियों को नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ प्रसाधनों के सन्निर्माण के लिए प्रोत्साहित करेगा और सन्निर्माण के पश्चात् पांच वर्ष तक तकनीकी दोषों की मरम्मत मुफ्त करेगा। 7. संगठन को, विनिर्दिष्ट सन्निर्माण कार्य की प्राक्कलित लागत के अतिरिक्त पर्यवेक्षण प्रभार का 10 प्रतिशत संदत्त किया जायेगा। 8. सन्निर्माण के प्रारंभ की तारीख की संगणना अग्रिम रकम के संदाय की तारीख से की जायेगी। यदि संगठन आबंटित कार्य को पूर्ण किये जाने की नियत कालावधि के भीतर पूर्ण करने में असफल रहता है, तो विभाग नियमों के अनुसार परिनिर्धारित नुकसानी, जो विलंबित सन्निर्माण का अधिकतम 10 प्रतिशत होगी, अधिरोपित करने के पश्चात् पूर्ण किये जाने की कालावधि को बढ़ा देगा। 9. लोक प्रसाधनों का अनुरक्षण, मरम्मत और स्वच्छता कार्य संगठन द्वारा 30 वर्ष के लिए किया जायेगा और ये प्रसाधन 'संदाय और उपयोग' के आधार पर अनुरक्षित किये जायेंगे।

			10. स्थानीय निकाय विभाग इस संबंध में संगठन के साथ संविदा निष्पादित करेगा। 11. संविदा की शर्तों से उत्पन्न किसी विवाद के मामले में, सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

”

[सं.एफ 8(3)एफडी/एसपीएफसी/विविध/सुलभ/2021]
राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार शर्मा,
विशिष्ट शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.